फर्द अहकाम

फूलन देवी बनाम उपतहसीलदार

नाम न्यायालय उ०ख०अ० शाहपुरा

केस संख्या ~~प्रा०प०~~ 15/24 प्रा०पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/3/25	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने सुन्दरदेवी प.नि. कन्हैयालाल बलाई नि० बोलावाला, फूलचन्द पुत्र मंगला बलाई नि० छारसा, फूलीदेवी प.नि. धन्नाराम बलाई नि० मालुतला, व लोटूराम पुत्र मांगू बलाई नि० छारसा के शपथ पत्र पेश किये। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बास्ते आदेशार्थ पत्रावली आइन्दा दिनांक 10/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज०
	फूली फूलचन्द लोटूराम नि. सुन्दरी देवी	
	10/3/25	पत्रावली आज पेश हुई प्रकरण में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश अलग से लिखाया जाकर प्रकरण नियमानुसार पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज०

फर्द अहकाम

फूली देवी बनाम राज0 सरकार वगैरह

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या ..15./2024 प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/4/25	प्रार्थीया की ओर से फूलचन्द पुत्र मंगला निवासी छारसा के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.3.2025 में सहवन से पटवार हल्का का नाम अंकित होने से रह गया तथा मृत्यु प्रमाण पत्र नन्छी देंवी का है लेकिन आदेश में सुन्दरी देवी अंकित कर दिया गया । प्रार्थी ने इसके अतिरिक्त अन्य लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कर संशोधित आदेश परित करने हेतु निवेदन किया । हमने प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सही होने तथा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.3.2025 में लिपिकीय त्रुटि होना तथा पत्रावली में मौजूद मृत्यु प्रमाण पत्र में नन्छीदेवी का नाम दर्ज होने से प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में संशोधित आदेश अलग लिखाया गया । संशोधित आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	

Scanned with OKEN Scanner